भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
24.02.2016 को लोक सभा में
पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या 80.

परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन

80. **डॉ. उदित राज :**
श्री योगी आदित्यनाथ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **क्या सरकार का विचार परमाणु ऊर्जा अधिनियम को संशोधित करने का है;**

(ख) **यदि हाँ, तो तत्संबंधी प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है;**

(ग) **क्या परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के साथ समझौता करने/संयुक्त उपक्रम बनाने संबंधी न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया को अनुमति देने के लिए संशोधन करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और**

(घ) **देश में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु किए गए इंतजामों का ब्यौरा क्या है?**

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) तथा (ख) **सरकार ने, परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 2015 के माध्यम से, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 2 एवं 14 को संशोधित कर दिया है, जिससे कि, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के लिए, हमारे नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम के और आगे के विस्तार के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, अन्य भारतीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यम कंपनियां बनाना संभव होगा, और इसके साथ-साथ ऐसी संयुक्त उद्यम वाली कंपनियों पर सरकारी नियंत्रण रखा जा सकेगा। उक्त विधेयक को संसद द्वारा वर्ष 2015 के शीतकालीन सत्र में पारित किया गया तथा इसे 31.12.2015 को लागू किया गया।**

(ग) **जी, नहीं।**

(घ) **नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) द्वारा विहित विस्तृत कोड और गाइडों द्वारा शासित होती है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के पास इन आवश्यकताओं को पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए, आवधिक नियामक निरीक्षणों के अतिरिक्त, नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं की संरक्षा तथा सुरक्षा संबंधी पहलुओं की पुनरीक्षा बहु-स्तरीय समीक्षाओं के माध्यम से करने की एक कठोर प्रक्रिया होती है।**

*****